राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू

उपस्थित अधिकारी – श्री तेजपाल गोठवाल (कार्यवाहक तहसीलदार) प्रकरण संख्या : 03/2016

अन्तर्गत राजस्थान भू–राज. अधिनियम
1956 धारा 90 क सपठित धारा 91

सरकार बनाम मक्खन लाल पुत्र द्वारका प्रसाद जाति माली निवासी गणेशपुरा, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राज0)

दिनांक : 30.6.17

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार हैं कि ग्राम दुर्जनपुरा की भूमि खसरा नं0 522/385 खातेदार मक्खन लाल पुत्र द्वारका प्रसाद द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि में दुकानों का निर्माण की जाने की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जांच पटवारी हल्का दुर्जनपुरा से करवाई जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 29.03.16 प्राप्त की जाकर अन्तर्गत धारा 90 ए सपठित धारा 91 रा0ले0रे0 एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी मक्खन लाल को जरिये नोटिस तलब किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री सुभाष चन्द्र आर्य ने वकालतनामा पेश किया। जवाब दिनांक 13.12.16 प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त जवाब नोटिस की सत्यापन जांच भू0अ0नि0 नवलगढ़ से करवाई गई। भू0अ0नि0 नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम दुर्जनपुरा में भूमि खसरा नं0 522/385 रकबा 0.16 है0 की खातेदारी मखनलाल पुत्र द्वारका प्रसाद जाति माली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस भूमि में पक्की ईंटों से निर्माण कर एक तिबारा बना रखा हैं। जिसके लिपाई पुताई नहीं है। निर्माण तिबारा की शक्ल में कर रखा है। वर्तमान में दुकान जैसा किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हैं। तिबारा की शक्ल में निर्माणाधीन ढांचा खाली पड़ा हुआ हैं। किसी भी प्रकार के उपयोग में नहीं लिया जा रहा हैं।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अप्रार्थी मक्खन लाल, स्व0 बालूराम, स्व0 झाबर मल तीनों भाईयों के पिता स्व0 द्वारका प्रसाद के नाम से खसरा नं0 856, 861, 2648 कुल तादादी रकबा 3.20 है0 जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। तीनों भाईयों ने सन् 1964 में आपस में उपरोक्त भूमि का बंटवारा किया जाना बताया। जिसके अनुसार भूमि खसरा नं0 2648 अप्रार्थी के अकेले के हिस्से में आई थी, परन्तु बाद में पुनः मुकदमें बाजी होने के कारण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का पुनः बंटवारा कर लिया गया, जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 2648 के नये खसरा नं0 385 बने जिसका बंटवारा होने पर अप्रार्थी के हिस्से में खसरा नम्बर 522/385 हिस्से में आया।

अप्रार्थी के वकील ने दौराने बहस बताया कि अप्रार्थी के हिस्से में आई भूमि में कदीमी समय से लगभग 150 वर्गमीटर में पुख्ता निर्माण छान, झोंपड़ें इत्यादि बने हुए थे। अब अप्रार्थी ने 150 वर्गमीटर की जगह केवल मात्र 75 वर्गमीटर में पशुओं, चारे इत्यादि के लिए वर्षा, गर्मी, सर्दी से बचाव एवं सुरक्षा के लिए पुख्ता निर्माण किया हैं जो कि पहले से निर्मित क्षेत्रफल से काफी कम हैं। साथ में यह भी निवेदन किया कि उक्त भूमि नगरपालिका नवलगढ़ के पैराफैरी क्षेत्र में काफी कम हैं, भविष्य में उक्त निर्माण को अन्य प्रयोजनार्थ काम में लेने पर नियमानुसार रूपान्तरण शुल्क सम्बन्धित विभाग को अदा करने को तैयार हैं। शिकायतकर्त्ता आपस में मुकदमें बाजी होने के कारण झुंठी रंजिशवश शिकायत करता रहता हैं।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का नवलगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2011, 16.05.2012, 10.07.2012 का गहराई से अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार उक्त खसरा नम्बरान 522/385 के दक्षिणी कोने पर पूर्व से ही पुख्ता निर्माण होना पाया जाता हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व में निर्माणाधीन जगह पर ही पुनः निर्माण करना पाया जाता हैं तथा भू0अ0नि0 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.06.2017 का अवलोकन करने पर भी पाया गया है कि अप्रार्थी के द्वारा उक्त खसरा नं0 में जो निर्माण हैं वह तिबारा की शक्ल में हैं, दुकान जैसा किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हैं। तिबारा की शक्ल में निर्माणाधीन ढांचा खाली पड़ा हुआ हैं। किसी भी प्रकार के उपयोग में नहीं लिया जा रहा हैं तथा भविष्य में उक्त निर्माण को अन्य प्रयोजनार्थ काम में लेने पर नियमानुसार रूपान्तरण शुल्क सम्बन्धित विभाग को अदा करने की बात कहीं जाने पर अप्रार्थी की नियत पर कोई संदेह किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। शिकायतकर्त्ता द्वारा झुंठी शिकायतें करना प्रतीत होता हैं। जिस कारण उक्त प्रकरण को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण पत्रावली इसी स्तर पर बन्द की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 30.6.17..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार नवलगढ़
जिला झुंझुनू (राज.)